

थाना बण्डा पुलिस द्वारा पीडिता की मदद करने के साथ की त्वरित कार्यवाही,

छिनेती करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अवैध असलहा सहित छिने हुए 20000/- रुपये नगद बरामद !

दिनांक 19.05.21 को श्रीमती रामा देवी पत्नी राजाराम नि0 पटनी थाना बण्डा शाहजहांपुर ने अपने पति के इलाज हेतु 20000/- रुपये एक थैले में रखकर ले जा रही था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पटनी तिराहे पर उनसे रुपये का थैला छीन लिया गया। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक बण्डा श्री मनोज कुमार मय फोर्स के मौके पर पहुँचकर घटना की जाँच करते हुये थाना बण्डा पर मु0अ0सं0 299/21 धारा 356 भादवि पंजीकृत किया गया। निरीक्षक बण्डा श्री मनोज कुमार द्वारा पीडिता की परेशानी एवं पति के इलाज के इलाज एवं जरूरत को दृष्टिगत रखते हुये पीडिता श्रीमती रामा देवी को अपने पास से सहानुभूतिपूर्वक 10,000/- रुपये नगद दिये गये।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा तत्काल घटना को गम्भीरता से लेते हुए श्री नवनीत सिंह नायक, क्षेत्राधिकारी पुवायां के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक बण्डा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये।

थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा अपने मुखबिरो को अलर्ट किया तथा घटना के सम्बन्ध में सुरागरसी-पतारसी की जाने लगी। इसी क्रम में गहनता से जांच करते हुए दिनांक 20.05.2021 को थाना बण्डा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कल जो पटनी तिराहे के पास बादमाशो ने रुपये छिने थे वह व्यक्ति बीआरसी ग्राउन्ड कस्बा बण्डा में अपाचे मोटर साइकिल ससफेद कलर के साथ खडे है जो तमंचो व कारतूसो से लैस है। सूचना पर थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा तत्काल बीआरसी ग्राउन्ड पर पहुँचे तो दो संदिग्ध व्यक्ति मोटर साइकिल के पास खडे मिले। पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया तो पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर दोनों व्यक्तियों को मौके पर ही पकड लिया। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध 02 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 04 कारतूस जिन्दा 315 बोर व एक मोटर साइकिल अपाचे सफेद कलर न0-UP27 AQ 3119 तथा जामा तलाशी से छिने हुए 20 हजार रुपये व मोटर साइकिल की सीट के नीचे से बैंक की पास बुक व आधार कार्ड मय थैला बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 302/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व मु0अ0सं0 303/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूछताछ के दौरान दोनो अभियुक्तों द्वारा दिनांक 19.05.2021 को पटनी तिराहे पर उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।

उल्लेखनीय यह है कि घटना का तत्काल संज्ञान लेकर थाना बण्डा पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा द्वारा अपने पास से पीडिता के पति के इलाज हेतु 10,000 रुपये की मदद की गयी एवं 24 घंटे के अन्दर घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर छिने गये 20,000 रुपये बरामद किये गये। जिसके लिये जनता द्वारा शाहजहाँपुर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है।

➤ ***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-***

- 1- अभिषेक सिंह पुत्र बहादुर सिंह हाल नि0 मो0 एमनजई थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर, मूल निवासी ग्राम चरखी देवरी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
- 2- रवि पुत्र अखिलेश कुमार नि0मो0 एमनजई थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

➤ ***आपराधिक इतिहास***

- 1- मु0अ0सं0 299/2021 धारा 356/411 भादवि थाना बण्डा बनाम अभिषेक सिंह व रवि उपरोक्त
- 2- मु0अ0सं0 302/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बण्डा बनाम अभिषेक सिंह उपरोक्त
- 3- मु0अ0सं0 303/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बण्डा बनाम रवि उपरोक्त

➤ **बरामदगी का विवरण-**

- 1- 02 अदद तमंचा देशी 315 बोर
- 2- 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,
- 3- 01 अदद मो0सा0 अपाचे रजि0 न0 UP 27AQ 3119
- 4- छिने हुए 20,000/- रू0 व बैंक की पास बुक व आधार कार्ड

➤ **गिरफ्तार करने वाली टीम**

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 2- उ0नि0 तनवीर अहमद थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 3- का0 1893 पुष्पेन्द्र कुमार थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 4- का0 1539 राजीव कुमार थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 5- का0 877 नेत्रपाल थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 6- का0 1867 विकल कुमार थाना बण्डा शाहजहाँपुर

